मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 525/2018 वाद

1. संदीप पिता लक्ष्मीनारायण जाट, आयु 24 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. मु. उमा पुत्री लक्ष्मीनारायण जाट, आयु 27 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. श्रीमती सुगना पत्नी लक्ष्मीनारायण जाट, आयु 45 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।

– वादीगण

//बनाम//

1. लक्ष्मीनारायण पिता चतुर्भुज जाट, आयु 47 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
2. गोविन्द पिता चतुर्भुज जाट, आयु 55 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
3. मु. पुष्पा पुत्री चतुर्भुज जाट, आयु 52 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
4. लीला पुत्री चतुर्भुज जाट, आयु 48 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
5. चन्द्रकला पुत्री चतुर्भुज जाट, आयु 55 साल, निवासी फुटवाल, तहसील निम्बाहेड़ा।
6. राज. सरकार जरिये तहसीलदार पदेन उप पंजीयक, निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 27.08.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दावे में से बंटवारे की दाद नहीं चाहते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में चूंकि पूर्व में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारान के हिस्से घोषित किये गये थे। उसी अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:51 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा फुटवाल की खाता संख्या 21 की आराजी नं. 10, 11 कुल किता 2 कुल रकबा 2.0800 हैक्टेयर तथा मौजा कपासमजी की खेडी की खाता संख्या 27 की आराजी नं. 91, 92, 95, 97, 264, 268, 269, 270, 281, 282, 541, 541/669, 551, 552, 557 कुल किता 15 कुल रकबा 8.8400 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजीयात का 1/3 हिस्सा वादी संख्या 1 का, 1/3 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा शेष 1/3 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 का खातेदारी घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का हिस्सा यथावत रहेगा। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। बैंक रहन सम्बन्धित के हिस्से पर अंकित किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 05.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:24:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner